अप्रार्थीः— श्रीमान् तहसीलदार ओसियां।

उपस्थित —

प्रार्थी की ओर से — अधिवक्ता श्री घेवरराम विश्नोई

अप्रार्थी की ओर से — सरकारी पैरोकार।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम

—::निर्णय::—

दिनांकः— 31.3.21

प्रार्थी द्वारा एक राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम का इस आशय का प्रस्तुत किया कि— प्रार्थी व अन्य खातेदारान की संयुक्त खातेदारी व कब्जा काश्त सुदा भूमि खसरा नम्बर 110 रकबा 13 बीघा 05 बिस्वा व खसरा नम्बर 105 रकबा 03 बीघा 05 बिस्वा गै. मु. ढाणी, ग्राम भीमसागर व खसरा नम्बर 43/2 रकबा 18 बीघा 14 बिस्वा मौजा ग्राम हरिनगर तहसील ओसियां की सरहद में आई हुई है। उक्त भूमि के राजस्व रेकर्ड में प्रार्थी का नाम अरजनसिंह पुत्र मंगलसिंह दर्ज है। लेकिन प्रार्थी का वास्तविक नाम दुर्जनसिंह है। उपरोक्त भूमि के राजस्व रेकर्ड में प्रार्थी का नाम दर्ज करते वक्त राजस्व कर्मचारियों की भूल वंश अरजनसिंह पुत्र मंगलसिंह दर्ज कर दिया जो गलत हैं। प्रार्थी के तमाम दस्तावेज आधार कार्ड, राशन कार्ड, बैंक डायरी, मतदाता पहचान पत्र इत्यादि दस्तावेज में दुर्जनसिंह दर्ज हैं साथ ही अन्य खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 101 रकबा 58 बीघा 07 बिस्वा मौजा ग्राम भीमसागर में प्रार्थी का नाम दुर्जनसिंह दर्ज है। उक्त राजस्व रेकर्ड में उक्त त्रुटि केवल मात्र राजस्व कर्मचारियों की सद्भाविक भूल के कारण हुई हैं। जो वर्तमान में उसी अनुसार राजस्व रेकर्ड में दर्ज हैं। राजस्व रेकर्ड में रही त्रुटि को लेकर प्रार्थी को भयंकर समस्याओं का सामना करना पड़ रहा हैं। उक्त राजस्व रेकर्ड में प्रार्थी के नाम की त्रुटि बाबत् हल्का पटवारी व तहसीलदार ओसियां को निवेदन किया लेकिन उन्होंने त्रुटि सुधारने से इन्कार कर दिया और कहा कि उक्त त्रुटि सुधारने बाबत् उपखण्ड अधिकारी ओसियां से आदेश लेना आवश्यक हैं। उक्त त्रुटि सुधारने बाबत् उपरोक्त भूमि के खातेदारान को भी कोई आपत्ति नहीं है यानि सभी खातेदारान उक्त त्रुटि सुधारने बाबत् पूर्णरूप से सहमत है। अतः प्रार्थना पत्र

सहायक कलेक्टर, ओसियां

Scanned with CamScanner

प्रस्तुत कर श्रीमान् से निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थी की संयुक्त खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 110 रकबा 13 बीघा 05 बिस्वा व खसरा नम्बर 105 रकबा 03 बीघा 05 बिस्वा गै.मु. ढाणी, ग्राम भीमसागर व खसरा नम्बर 43/2 रकबा 18 बीघा 14 बिस्वा मौजा ग्राम हरिनगर तहसील ओसियां, के राजस्व रेकर्ड में प्रार्थी का नाम अरजनसिंह दर्ज जो गलत है इसके स्थान पर वास्तविक नाम दुर्जनसिंह दर्ज किया जाकर राजस्व रेकर्ड दुरस्त किये जाने का आदेश सादिर फरमाया जावें। तदनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करवाया जावें।

प्रार्थी उक्त प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर जरिये नोटिस अप्रार्थी को तलब किया गया। अप्रार्थी की ओर से सरकारी पैरोकार उपस्थित हुए। अप्रार्थी की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया तथा राजस्व रेकर्ड में प्रार्थी का नाम अरजनसिंह के स्थान पर दर्जनसिंह किये जाने की अनुशंषा की है।

प्रार्थी अधिवक्ता की बहस सुनी गई बहस पर मनन किया, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया जिससे यह स्पष्ट है कि प्रार्थी का सही नाम दुर्जनसिंह है जो पत्रावली में संलग्न दस्तावेजात से स्पष्ट है, इसलिए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है।

–::आदेश::–

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थी की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 110 रकबा 13 बीघा 05 बिस्वा व खसरा नम्बर 105 रकबा 03 बीघा 05 बिस्वा गै.मु. ढाणी, ग्राम भीमसागर व खसरा नम्बर 43/2 रकबा 18 बीघा 14 बिस्वा मौजा ग्राम हरिनगर तहसील ओसियां, जिला जोधपुर के राजस्व रेकर्ड में प्रार्थी का नाम अरजनसिंह के स्थान पर दुर्जनसिंह दर्ज किये जाने का आदेश दिया जाता है। पालना हेतु तहसीलदार ओसियां को तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, ओसियां

आज दिनांक 31.3.21 को खुला न्यायालय में आदेश सुनाया गया।

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, ओसियां

Scanned with CamScanner